उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21 2019**

सेवा में,

बसन्त यादव पुत्र श्री राम प्रकाश यादव
अनुक्रमांक–101010264
निवासी ग्राम– नगला सेवा, पो0 बावसा थाना कोतवाली देहात
जिला एटा–207001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/1187 दिनांक 18.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, एटा को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र उन्नाव** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कुलदीप सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह
अनुक्रमांक–229193829
पता– ग्राम दशहरा पो0– दशहरा थाना अरनिया
जिला–बुलन्दशहर–203131

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

रविकान्त गोस्वामी पुत्र संजीव कुमार
अनुक्रमांक–255489068
पता– ग्राम रामनगर पोस्ट अमीनगर थाना सिंघावली अहीर

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

रविकान्त गोस्वामी पुत्र संजीव कुमार
अनुक्रमांक–255489068
पता– ग्राम रामनगर पोस्ट अमीनगर थाना सिंघावली अहीर,
जिला– बागपत–250606

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपक कुमार डागुर पुत्र राज कुमार डागुर
अनुक्रमांक–255487223
पता– ग्राम नगला बडी पोस्ट रटौल थाना खेकडा
जिला– बागपत–250101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र तेजराम धामा
अनुक्रमांक–355487354
पता– ग्राम व पोस्ट निबाली थाना बागपत
जिला– बागपत–250601

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

रवि कुमार पुत्र सुरेन्द्र पाल
अनुक्रमांक–155496030
पता– कस्बा छपरौली पो0–थाना छपरौली
जिला– बागपत–250617

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ललित उज्ज्वल पुत्र हरपाल सिंह
अनुक्रमांक–355491880
पता–ग्राम मवीकला थाना बालैनी तहसील बडौत
जिला– बागपत–250606

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ललित उज्ज्वल पुत्र हरपाल सिंह
अनुक्रमांक–355491880
पता–ग्राम मवीकला थाना बालैनी तहसील बडौत
जिला– बागपत–250606

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

नकुल सिंह पुत्र रामनाथ सिंह
अनुक्रमांक–355491920
पता–मं0नं0 314, ग्राम व पोस्ट फश्वरपुर तहसील व विकास खण्डा थाना श्वेकडा
जिला– बागपत–250101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मे योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

रवि कुमार पुत्र ओमवीर सिंह
अनुक्रमांक–255493359
पता–ग्राम व पोस्ट–काठा थाना बागपत तहसील खेकड़ा
जिला– बागपत–250609

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

हरेन्द्र सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–355490962
पता–पट्टी मेहर कस्बा बडौत थाना बडौत तहसील बडौत
जिला– बागपत–250611

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपक यादव पुत्र सत्यपाल यादव
अनुक्रमांक–255490709
पता–ग्राम व पो0– ओ0 फुलेरा तहसील खेकडा थाना चॉदीनगर
जिला– बागपत–250101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

प्रवीन कुमार पुत्र आत्माराम
अनुक्रमांक–255492497
पता–ग्राम व पो0–थाना बिनौली तहसील बड़ौत
जिला– बागपत–250345

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

विनय पुत्र श्री प्रेम
अनुक्रमांक–155492091
पता–ग्राम व पोस्ट राजपुर खामपुर थाना बडौत तहसील बागपत
जिला– बागपत–250611

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

आकाश अवाना पुत्र सुदेश अवाना
अनुक्रमांक–330216634
पता– ग्राम एच–102 ग्राम असगरपुर जे0पी0 ग्रुप से0–128 नौएडा,
जिला– नौएडा(गौतम बुद्धनगर)–201304

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** नौएडा(गौतम बुद्धनगर) को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

बृजेश कुमार भाटी पुत्र प्रताप सिंह भाटी
अनुक्रमांक–230212044
पता– ग्राम व पो0– देवटा थाना दनकौर , तहसील सदर
जिला– गौतम बुद्धनगर–203202

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गौतम बुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

भूपेन्द्र कुमार पुत्र दिनेश कुमार
अनुक्रमांक–229192263
पता–ग्राम–फरीदा बांगर पो0– मवई थाना नरसैना
जिला–बुलन्दशहर–202398

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र विजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–2329199141
पता–ग्राम– पो0–जवॉ थाना जहॉगीरपुर
जिला–बुलन्दशहर–203141

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

मंयक सिरोही पुत्र मनवीर सिह
अनुक्रमांक–129202647
पता–ग्राम–ढकौली पो0–व थाना बी0बी0नगर
जिला–बुलन्दशहर–245402

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

संजीव कुमार पुत्र कुँवर पाल सिंह
अनुक्रमांक–129191841
पता–ग्राम–1089,नगजा गर्वी जरगवॉ थाना रामघाट
जिला–बुलन्दशहर–202399

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

गौरव कुमार पुत्र सतेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–329197148
पता–ग्राम–दरवेशपुर पोस्ट बोहिच थाना सिकारपुर
जिला–बुलन्दशहर–203395

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपाशु अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद
अनुक्रमांक–229199774
पता–15/2018 देवीपुरा द्वितीय निकट चार खम्बा गली बंगाली डाक्टर की दुकान थाना कोतवाली
जिला–बुलन्दशहर–203001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पुत्र सतीश सिंह
अनुक्रमांक–229200172
पता–ग्राम भूतगढी पोस्ट फिरोजपुर थाना–खुर्जानगर
जिला–बुलन्दशहर–203141

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कविन्द्र पुत्र शंकर सिह
अनुक्रमांक–329195763
पता–ग्राम पोस्ट भराना, थाना–सिकन्दराबाद
जिला–बुलन्दशहर–203205

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

गौरव कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्रपाल शर्मा
अनुक्रमांक–229198198
पता–ग्राम सेहतपुर वेरी पोस्ट शिकारपुर थाना– शिकारपुर
जिला–बुलन्दशहर–203395

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कपिल कुमार सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह
अनुक्रमांक–229201510
पता–ग्राम सुर्खुरू पोस्ट चॉदॉक थाना–जहॉगीराबाद
जिला–बुलन्दशहर–203394

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सुमित कुमार यादव पुत्र उग्रपाल सिंह
अनुक्रमांक–230212225
पता–ग्राम नगला जगत पोस्ट खौलिया कल्यानपुर थाना–अहमदपुर
जिला–बुलन्दशहर–203391

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

आशीष कुमार पुत्र दुर्गादास
अनुक्रमांक–229192227
पता–ग्राम ख्वाजपुर पोस्ट झाझर थाना–ककौड़
जिला–बुलन्दशहर–203203

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ललित पुत्र छिद्दा सिंह
अनुक्रमांक–229192219
पता–ग्राम चॉदपुर पूठी पोस्ट स्याना थाना–कोतवाली.
जिला–बुलन्दशहर–203412

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

हिमांशु शर्मा पुत्र जितेन्द्र कुमार शर्मा
अनुक्रमांक–229199723
पता–ग्राम सलैमपुर खड़न पोस्ट सलैमपुर थाना– सलैमपुर
जिला–बुलन्दशहर–203001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कुलवीर सिह मीणा पुत्र उदयवीर सिंह मीणा
अनुक्रमांक–329194342
पता– 297, मो0 रोगनग्रान कस्बा जहॉगीराबाद थाना जहॉगीराबाद
जिला–बुलन्दशहर–203394

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामवीर सिंह
अनुकमांक–229195167
पता– ग्राम व पो0– सौझना झाया थाना खानपुर
जिला–बुलन्दशहर–203405

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अंकुश चौधरी पुत्र वीरेन्द्रपाल सिंह
अनुक्रमांक–329195934
पता– ग्राम स्यालरी पो–अहमदगढ़ थाना अहमदगढ़
जिला–बुलन्दशहर–203131

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कुशलवीर सिंह राठी पुत्र चन्द्रपाल सिंह
अनुक्रमांक–229196767
पता– ग्राम अकबरपुर रैना पो–अगौता, थाना अगौता
जिला–बुलन्दशहर–203411

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

योगेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह
अनुक्रमांक–329192806
पता– ग्राम रहमापुर पो व थाना डिबाई
जिला–बुलन्दशहर–202393

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

लवकुश कुमार पुत्र सतीश कुमार
अनुक्रमांक–229192348
पता– ग्राम व पो खदाना थाना– आहार
जिला–बुलन्दशहर–203394

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ललित शर्मा पुत्र संजीव कुमार शर्मा
अनुक्रमांक–329194195
पता– 377, सराय शेख आलम, खुरजा थाना खुरजा नगर
जिला–बुलन्दशहर–203131

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सुमित कुमार गौतम पुत्र दौलत राम
अनुक्रमांक–129191584
पता– ग्राम व पो0–बैराफिरोजपुर थाना स्याना
जिला–बुलन्दशहर–245412

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

आशीष चौहान पुत्र राम बहादुर सिंह चौहान
अनुक्रमांक–243350038
पता–सी,256, गली नं0–09 हरदेवपुरी थाना शाहदरा
जिला– दिल्ली–110093

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

वैभव गुप्ता पुत्र विपिन कुमार गुप्ता
अनुक्रमांक–143353015
पता–म0नं0–113, गली नं0–10, बलबीर नगर विस्तार शाहदरा
जिला– दिल्ली–110032

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ललित मावी पुत्र राजपाल
अनुक्रमांक–343354329
पता–म0नं0– 213, ग्राम कोट थाना धौल तहसील बड़खल
जिला– फरीदाबाद (हरियाण)–121004

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

विकास पुत्र नरेन्द्र त्यागी
अनुक्रमांक–343354903
पता–मं0नं0 326ए,वार्ड नं0–, मौहल्ला प्रधानावास, गन्नौर शहर थाना गन्नौर,
जिला– सोनीपत (हरियाण)–131101

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उ0प्र0 प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सोनपाल पुत्र शोलाल सिंह
अनुक्रमांक–230220450
पता–ग्राम व पोस्ट गालन्द थाना पिलखुआ तहसील धौलाना
जिला–हापुड –201302

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपाँच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सकल्प पुत्र सत्यवीर सिंह
अनुक्रमांक–243350706
पता– मं0नं0 148ए, गली–05 हरिजन बस्ती मीठापुर विस्तार बदरपुर थाना जैतपुर
जिला– साऊथ ईस्ट दिल्ली– 110044

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सूरज पाल सिंह पुत्र श्री सिंघल सिंह मीणा
अनुक्रमांक–243350104
पता–47,गली नं–2 ए ब्लाक आई पी कॉलोनी,बुराडी
जिला– उत्तरी दिल्ली–110084

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

निखिल वशिष्ठ पुत्र प्रेम वशिष्ठ
अनुक्रमांक–243350022
पता–मं0नं0– बी–95, गली नं–2 उत्तरी छज्जुपुर इन्दिरा निकेतन शाहदरा थाना ज्योति नगर
जिला– नार्थ–ईस्ट दिल्ली–110094

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकाश पाण्डेय पुत्र श्री माधव पाण्डेय
अनुक्रमांक–133271944
निवासी– मुजरी खुर्द पो0–पुरैनी मिश्र
थाना–सुखानन्द जनपद–देवरिया
पिन–274701

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष / महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित [illegible]
उच्च न्यायालय [illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकास पाण्डेय पुत्र श्री माधव पाण्डेय
अनुक्रमांक–1332271944
निवासी– भुजरी खुर्द पो0–पुरैनी मिश्र
थाना–बरहज जनपद–देवरिया
पिन–274701

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आकाश कुमार सिंह पुत्र श्री जीतराम सिंह
अनुक्रमांक–3332270817
निवासी– जमिरहा पो0–मदुआ
थाना–बनकटवा जनपद–देवरिया

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आकाश कुमार सिंह पुत्र श्री जीतराम सिंह
अनुक्रमांक–33327[illegible]17
निवासी– जंजिरहा पो0–[illegible]
थाना–[illegible] जनपद–देवरिया
पिन–274704

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

श्यामनारायण यादव पुत्र श्री तुफानी यादव
अनुक्रमांक–3823795673
निवासी– धरमसुओव पो0–पैकौली
थाना–गलुअनी जनपद–देवरिया
पिन–274001

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायें ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

प्रेषक पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच्र–।।।(उ0नि0भा0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आशीष श्रीवास्तव पुत्र श्री ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव
अनुक्रमांक–3332273507
निवासी– बिलौड़ी, पकवापार, पो–सोहगाम
थाना–फतेहपुर जनपद–देवरिया
पिन–274509

विषयः–उपनिरीक्षक भा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक भा0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के मानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नकः मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अविनाश कुमार सिंह पुत्र श्री अरविन्द सिंह
अनुक्रमांक–3332766694
निवासी– राहलपार अनेठिया
थाना–लार जनपद–देवरिया
पिन–274502

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पवन कुमार यादव पुत्र श्री सुरेश चन्द्र यादव
अनुक्रमांक–333280120
निवासी– कालाबन पो0–गौरीबाजार
थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया
पिन–274202

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक,प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विजय राज पुत्र श्री रामशील यादव
अनुक्रमांक–3031152414
निवासी– रामपुर बुजुर्ग पो0–पोभरा
थाना–कोतवाली सदर जनपद–महराजगंज
पिन–273303

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अविनाश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विपिन कुमार गुप्ता
अनुक्रमांक–103149889
निवासी– बरखों विद्यापति पो0–शिकारपुर
थाना–कोतवाली सदर जनपद–महराजगंज
पिन–273302

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हेमन्त कुमार यादव पुत्र श्री राधेश्याम यादव
अनुक्रमांक–103152814
निवासी– महुआवाँ महुई पो–पिपरघाटी
थाना–श्यामदेवरवा जनपद–महराजगंज
पिन–273306

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह
अनुक्रमांक–203151804
निवासी– राजापुर, पो0–भरहट
थाना–श्यामदेवरवा जनपद–महराजगंज
पिन–273306

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिनव कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रभुनाथ गुप्ता
अनुक्रमांक–103150927
निवासी– नारायण पुर पो0– सुमेरगढ़
थाना–श्यामदेवरवा जनपद–महराजगंज
पिन–273306

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मो0 जावेद सिद्दीकी पुत्र श्री मो0 गुलाम किब्रिया
अनुक्रमांक–203150 553
निवासी– ग्रा पो–लक्ष्मीपुर देवरवा
थाना–कोतवाली जनपद–महराजगंज
पिन–273302

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसकें प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सतेन्द्र कुमार पटेल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल
मोबाइल नं0–8031833832
निवासी– महोअर्वा
थाना–कोतवाली जनपद–महराजगंज
पिन–273303

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायें ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019,

सेवा में,

राहुल कुमार सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह
अनुक्रमांक–103146237
निवासी– अहिरौली पो0–खड्डा
थाना–खड्डा जनपद–कुशीनगर
पिन–274802

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राकेश कुमार चौहान पुत्र श्री सीताराम चौहान
मोबाइल नंबर–9031486621
निवासी– साधी भगवानपुर पो–भेटियाइला
थाना–हनुमानगंज जनपद–कुशीनगर
पिन–274802

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

दशरथ कुमार जयसवाल पुत्र श्री गणेश प्रसाद जयसवाल
अनुक्रमांक–203146793
निवासी– जलकल रोड वार्ड–न0–08 पो0–खड्डा
थाना–खड्डा जनपद–कुशीनगर
पिन–274802

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री विजय प्रताप
अनुक्रमांक–103146640
निवासी– बकनहा पो0–अहिरौली बाजार
थाना–कप्तानगंज जनपद–कुशीनगर
पिन–274402

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विश्वामित्र पटेल पुत्र श्री शम्भूशरण पटेल
अनुक्रमांक–303149081
निवासी– भिखवा पो0–मंसूरगंज
थाना–कप्तानगंज जनपद–कुशीनगर
पिन–274149

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अमित कुमार पाण्डेय पुत्र श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय
अनुक्रमांक–203145595
निवासी– पो0–गौनरिया
थाना–कप्तानगंज जनपद–कुशीनगर
पिन–274301

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विशाल सिंह पुत्र श्री कपिल देव सिंह
अनुक्रमांक–303148914
निवासी– सतपोखरिया भलुही पो0–भलुही
थाना–अहिरौली जनपद–कुशीनगर
पिन–274149

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक,प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच--।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सत्यानन्द पुत्र श्री शिव अवतार यादव
अनुक्रमांक--333271866
निवासी-- ग्रा पो--चकरा गोसाई
थाना--गईज जनपद--देवरिया
पिन--274808

विषय:--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सत्यजीत सिंह पुत्र श्री प्रभुनाथ सिंह
अनुक्रमांक–233274139
निवासी– ग पो–यदुवू परसिया
थाना–मदनपुर जनपद–देवरिया
पिन–274001

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अमरजीत सिंह पुत्र श्री रामछबीला कुशवाहा
अनुक्रमांक–333276710
निवासी– ग्रा पो–अहिरौली बघेल
थाना–बनकटा जनपद–देवरिया
पिन–274702

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सलमान खान पुत्र श्री कासिमखान
अनुक्रमांक–333276617
निवासी– ब पो–महुवलिया
थाना–खुखुन्दू जनपद–देवरिया
पिन–274501

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जांये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

श्वेतांशु पाण्डेय पुत्र श्री प्रमोद पाण्डेय
अनुक्रमांक–133278246
निवासी– ग्रा0 पो0–माधवापुर
थाना–बलेमपुर जनपद–देवरिया
पिन–274609

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रंगेश कुमार प्रजापति पुत्र श्री छेदी प्रजापति
अनुक्रमांक–233276801
निवासी– बभनौली मठ पुरूषोत्तम व पो–कतौरा
थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया
पिन–274202

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विजय कुमार यादव पुत्र श्री रामआशीष यादव
अनुक्रमांक–133278464
निवासी– हरैया व पो–डुमवलिया
थाना–सलेमपुर जनपद–देवरिया
पिन–274509

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अमित कुमार यादव पुत्र श्री उदयभान यादव
मुनकमांक–233276767
निवासी– मुक्ताकर व पो–नूनखार
थाना–मुखुन्द, जनपद–देवरिया
पिन–274501

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

कमलेश सिंह पुत्र श्री चन्द्रकिशोर सिंह
मूलकमांक–233275188
निवासी– 307/5 मुन्सफ कालोनी रामनाथ देवरिया
थाना–खामपार जनपद–देवरिया
पिन–274702

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हेमन्त कुमार साहनी पुत्र श्री फूलचन्द निषाद
अनुक्रमांक–333271822
निवासी– व पो–जोगम
थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया
पिन–274202

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नवीन कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार जयसवाल
अनुक्रमांक–203147240
निवासी– ग्राम–फाजिलनगर
थाना–पटहेरवा जनपद–कुशीनगर
पिन–274401

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सलमान खान पुत्र असलम खान
अनुक्रमांक–330218179
पता–म0नं0 18 ग्राम दौलतपुर ढीकरी थाना धौलाना
जिला–हापुड –245301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कुलदीप यादव पुत्र महेश चन्द्र यादव
अनुक्रमांक–230222602
पता–ग्राम भोवापुर पोस्ट सिम्भावली थाना सिम्भावली
जिला–हापुड –245207

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

भूपेश पुत्र जगत सिंह
अनुक्रमांक–230219324
पता–ग्राम दरियापुर पोस्ट सिंभावली, थाना सिंभावली गढ– मुक्तेश्वर
जिला–हापुड –245207

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

उमेश कुमार पुत्र श्री संतोषलाल
अनुक्रमांक–1031479302
निवासी– व पो–मुकुन्दौली
थाना–डाडा डाकघर–कुशीनगर
पिन–274207

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का बयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक,प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजीत कुमार मिश्रा पुत्र श्री दिनेश मिश्रा
अनुक्रमांक–20314677
निवासी– ग्रा पो–एकबनही उर्फ भगवतपुर पो0–जटहाँ बाजार
थाना–जटहाँ बाजार जनपद–कुशीनगर
पिन–274304

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पांच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार तिवारी पुत्र श्री बीरबली तिवारी
अनुक्रमांक–2352278667
निवासी– मझला पो–मलवलौली
थाना–खलेमपुर जनपद–देवरिया
पिन–274505

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19.

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं तद्वित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अंकित कुमार राय पुत्र श्री अरविन्द कुमार राय
अनुक्रमांक–233272942
निवासी– हरैया पो0–देवरिया
थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया
पिन–274001

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री केशव सिंह यादव
अनुक्रमांक–2332016995
निवासी– देवरिया रामनाथ वार्ड–02
थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया
पिन–274001

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019, दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं स्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार नायक पुत्र श्री कृष्ण मुरारी नायक
अनुक्रमांक–103145472
निवासी– ग्रा0 पो0–बोदरबार
थाना–कप्तानगंज जनपद–कुशीनगर
पिन–274149

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सलेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री अक्षयवर सिंह
अभ्यर्थी क्र0–1031486411
निवासी– ग्रा0 पो0–रामवर बुजुर्ग
थाना–रामकोला जनपद–कुशीनगर
पिन–274305

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पुत्र श्री लोकेश कुमार
अनुक्रमांक–249428567
निवासी– नोनागली, पो–पुरमाफी
थाना–झिझाना जनपद–शामली
पिन–247773

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रोबिन सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह
अनुक्रमांक–249429553
निवासी– गागौर पो–गागौर
थाना–मुरादनगर जनपद–शामली
पिन–247778

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे ।.इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

देविश चौधरी पुत्र श्री लोकेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक–249429029
निवासी– खानपुर पो0–थानाभवन
थाना–थानाभवन जनपद–शामली
पिन–247777

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रितेश चौहान पुत्र श्री कृष्ण चौहान
अनुक्रमांक–349428632
निवासी– पो0–जसाला
थाना–कॉधला जनपद–शामली
पिन–247777

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नितिन मलिक पुत्र श्री सोमपाल सिंह
अनुक्रमांक–349427091
निवासी– झाल पो0–शामली
थाना–शामली जनपद–शामली
पिन–247776

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

संदीप सिंह पुत्र नरेश सिंह
अनुक्रमांक–230218875
पता–ग्राम खेड़ा पोस्ट पिलखुवा थाना पिलखुवा
जिला–हापुड –245304

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

नितिन कुमार पुत्र कृष्णापाल सिंह
अनुक्रमांक–230234509
पता–ग्राम जमालपुर पोस्ट लावड थाना इन्चौली तहसील सरधना थाना–इचौली
जिला–मेरठ –250222

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

विवेक त्यागी पुत्र नरेन्द्र त्यागी
अनुक्रमांक–330228087
पता–ग्राम व पोस्ट गणेशपुर ब्लॉक हस्तिनापुर थाना हस्तिनापुर तहसील मवाना
जिला–मेरठ –250404

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

शोकिन्द्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–230224140
पता–ग्राम सालौर रसूल पनाह पोस्ट असीलपुर थाना किठौर
जिला–मेरठ –250104

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक**, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अजय कुमार पुत्र रमेश चन्द्र
अनुक्रमांक–349472895
पता–रिठानी, हवेली मण्डप के पीछे थाना परतापुर
जिला–मेरठ –250103

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

आफताव पुत्र रकीव
अनुक्रमांक–130230564
पता–ग्राम व पो0 रसेलपूर औरंगाबाद थाना भावनपुर
जिला–मेरठ –250001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच--III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक--जून 21 2019

सेवा में,

इन्द्रपाल सिह पुत्र बाबूराम
अनुक्रमांक--230234593
पता--ग्राम गाजीपुर पोस्ट सांधन थाना ईचौली
जिला--मेरठ --250401

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/** पुलिस **अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपक कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक–301031532
पता– 494/6 शास्त्रीनगर मेरठ थाना नौचन्दी
जिला–मेरठ –250004

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अनिल कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–230235258
पता– ग्राम व पोस्ट हसंनपुर कला थाना–किठौर
जिला–मेरठ –250106

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

गौरव कुमार पुत्र जयवीर सिंह
अनुक्रमांक–130235087
पता– ग्राम छिलोरा पोस्ट अब्दुल्लापुर थाना–भावनपुर
जिला–मेरठ –250001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

कोशिन्दर पुत्र वीर सिंह
अनुक्रमांक–130229139
पता– ग्राम खड़खडी पोस्ट खरखौदा थाना–खरखौदा
जिला–मेरठ –245206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अनुज कुमार शर्मा पुत्र दशरथ शर्मा
अनुक्रमांक–301027967
पता–म0नं0 196, गॉव साहिबाबाद, थाना लिंकरोड
जिला–गाजियाबाद–201005

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सुमित शर्मा पुत्र ए0के0शर्मा
अनुक्रमांक–301024754
पता–262ए(एलजी–1)सेक्टर–4 वैशाली,थाना इन्द्रापुरम
जिला–गाजियाबाद–201010

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

संदीप कुमार पुत्र बलराम सिंह
अनुक्रमांक–301022488
पता–ग्राम रघुनाथपुर खेड़ा,पोस्ट त्यौडी थाना भेजपुर
जिला–गाजियाबाद–245304

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

पूरन सिंह पुत्र हरी सिह
अनुक्रमांक–201027651
पता–ग्राम मं0नं063–बी, संगम पार्क, खोड़ा कालोनी, थाना खोड़ा कालोनी
जिला–गाजियाबाद–201001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

नवीन कुमार पुत्र डालचन्द्र
अनुक्रमांक–301030856
पता–ग्राम 4, इनायतपुर डासना थाना मसूरी
जिला–गाजियाबाद–201302

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

विनोद कुमार पुत्र अमर पाल
अनुक्रमांक–201028564
पता–ग्राम सरीफाबाद राजपुर पोस्ट फर्रूखनगर थाना लोनी
जिला–गाजियाबाद–201003

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

पदवेन्द्र कुमार पुत्र रूपेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–129191591
पता–ग्राम घराऊ पोस्ट बिचौला थाना खुर्जा देहात,
जिला–बुलन्दशहर –203131

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

प्रशान्त कुमार पुत्र जगवीर सिंह
अनुक्रमांक–229195371
पता–ग्राम मुकेरा पोस्ट सलेमपुर ,थाना सलेमपुर
जिला–बुलन्दशहर–203001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सोनू पोसवाल पुत्र गजराज सिंह
अनुक्रमांक–129202417
पता–ग्राम माधोगढ़ पो0– गुरावली थाना खानपुर
जिला–बुलन्दशहर–202394

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

प्रदीप सिंह प्लावत पुत्र वीरपाल सिंह
अनुक्रमांक–129202322
पता–ग्राम अहमदगढ पोस्ट–व– थाना अहमदगढ
जिला–बुलन्दशहर–202392

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अजय कुमार पुत्र जगवीर सिंह
अनुक्रमांक–329202068
पता–ग्राम शहवाजपुर पोस्ट प्रानगढ़ थाना सिकन्द्राबाद
जिला–बुलन्दशहर–203205

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सचिन कुमार राणा पुत्र बृजपाल राणा
अनुक्रमांक–129194996
पता–ग्राम नगला कटक पोस्ट केचसर थाना बी0बी0 नगर
जिला–बुलन्दशहर–203402

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–**III** (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सचिन कुमार राणा पुत्र बृजपाल राणा
अनुक्रमांक–129194996
पता–ग्राम नगला कटक पोस्ट केचसर थाना बी0बी0 नगर
जिला–बुलन्दशहर–203402

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सुमित कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–329202138
पता–ग्राम–पो0– सैदपुर थाना बी0बी0नगर
जिला–बुलन्दशहर–203411

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

राहुल कुमार पुत्र हरि प्रकाश
अनुक्रमांक–129194670
पता–ग्राम–पो0– तालबिबियाना थाना अहमदगढ़
जिला–बुलन्दशहर–203390

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

राहुल शर्मा पुत्र देवेन्द्र कुमार शर्मा
अनुक्रमांक–343351085
पता– मं0न0 102, गली नम्बर 29 जगत पुर एक्सटेंशन, बुराडी थाना तिमारपुर तहसील सिविल लाइन
जिला–दिल्ली– 110084

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

पंवन कुमार पुत्र राकेश
अनुक्रमांक–243353152
पता– मं0नं0 107, गली–15 जी ब्लाक गंगा बिहार पोस्ट व थाना गोकुलपुरी
जिला– उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110094

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अंकित कुमार तोमर पुत्र अमर पाल
अनुक्रमांक–243350490
पता– 255, गली नं0– 5 ब्लाक–एफ गंगा बिहार पोस्ट व थाना गोकुलपुरी
जिला– उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110094

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के [illegible]
न्यायालय [illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अंकित कुमार तोमर पुत्र अमर पाल
अनुक्रमांक–243350490
पता– 255, गली नं0– 5 ब्लाक–एफ गंगा बिहार पोस्ट व थाना गोकुलपुरी
जिला– उत्तर पूर्वी दिल्ली– 110094

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** मेरठ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय सीतापुर** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

पुनीत कुमार पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद
अनुकमांक–149452727
निवासी ग्राम– सिंहपुर मजरा चमियानी थाना व तह0 पुरवा
जिला उन्नाव–229841

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद**को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री नेम शंकर
अनुक्रमांक–249449893
निवासी ग्राम– सुमेरपुर मजरे–छाछीराई खेड़ा
पो0 सुमेर पुर तह0 बीघापुर थाना बिहार
जिला उन्नाव–209866

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

कुलदीप मौर्या पुत्र श्री लालता प्रसाद
अनुक्रमांक–349449227
निवासी ग्राम– गोपालपुर पो0 हरईपुर थाना व तह0 बांगरमऊ
जिला उन्नाव–209869

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

संदीप कुमार पुत्र स्व0 श्री कृष्ण विलास
अनुक्रमांक–149449377
निवासी ग्राम– पंचमखेड़ा पो0 पाली थाना व तह0 बीघापुर
जिला उन्नाव–209865

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती हैं तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अभिषेक सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह
अनुक्रमांक–249448719
निवासी ग्राम– गौसपुर प्रो0 न्योतनी थाना हसनगंज
जिला उन्नाव–229841

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

मनोज द्विवेदी पुत्र श्री रामदेव द्विवेदी
अनुकमांक–249448671
निवासी ग्राम– म0नं0 861, बन्दुहार सिविल लाइन थाना कोतवाली तह0 सदर
जिला उन्नाव–209801

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

श्रीकृष्ण पाल पुत्र श्री छोटई
अनुक्रमांक–349447333
निवासी ग्राम–रहमली नगर थाना व तह0 हसनगंज
जिला उन्नाव–229841

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

धीरज कुमार पुत्र श्री गजोधर
अनुकमांक–149448558
निवासी ग्राम–व पो0 परसण्डा तह0 बीघापुर थाना बिहार
जिला उन्नाव–209867

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

मनीष कुमार दीक्षित पुत्र श्री सुनिल दीक्षित
अनुकमांक–349447258
निवासी ग्राम–गोरिन्दा पो0 व थाना असोहा
तह0 हसनगंज वि0ख0 नवाबगंज
जिला उन्नाव–209859

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अखिलेश प्रताप सिंह पुत्र श्री हरिपाल सिंह
अनुक्रमांक–349447282
निवासी ग्राम–व पो0 कोरारी कला
थाना अचलगंज ब्लाक बिछिया
जिला उन्नाव–209801

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

संदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद वर्मा
अनुक्रमांक–249447124
निवासी ग्राम–2/224 प्रेम नगर शुक्लागंज
थाना गंगाघाट तह0 उन्नाव
जिला उन्नाव–209861

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

रोहित सविता पुत्र श्री घनश्याम सविता
अनुकमांक–343365994
निवासी ग्राम–1/380 सर्वोदय नगर शुक्लागंज
थाना व पो0 गंगाघाट
जिला उन्नाव–209861

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

दीपक कुमार यादव पुत्र श्री यशपाल
अनुक्रमांक–343365735
निवासी ग्राम–8/102 सीताराम कालोनी शुक्लागंज
थाना गंगाघाट
जिला उन्नाव–209861

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

दिव्य प्रकाश पुत्र श्री विनोद कुमार
अनुकमांक–143365469
निवासी ग्राम–79 लोक नगर थाना सदर कोतवाली
जिला उन्नाव–209801

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

सूरज कुमार पुत्र श्री राम कुमार
अनुकमांक–343365117
निवासी ग्राम–हुसैन नगर पट्टी परशुराम
थाना फतेहपुर 84 वि0ख0 फतेहपुर पो0 ऊगू तह0 सफीपुर
जिला उन्नाव–209801

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अजय कुमार तिवारी पुत्र कृष्णकान्त तिवारी
अनुक्रमांक–349396236
पता– ग्राम जठैया पो– पूरे झाम सिंह थाना जगतपुर
जिला– रायबरेली–229401

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

दीपक पटेल पुत्र जगदीश प्रसाद
अनुक्रमांक–349396237
पता– ग्राम व पो– बहादुर नगर थाना शिवगढ़
जिला– रायबरेली–229311

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अविनाश मौर्या पुत्र सुमेर मौर्या
अनुक्रमांक–349396123
पता– ग्राम पूरे महाराज मलपुरा पो– वेलाखारा थाना जगतपुर
जिला– रायबरेली–229125

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सुधाकर विक्रम सिंह पुत्र रविन्द्र बहादुर
अनुक्रमांक–249397494
पता– ग्राम व पो– सहजौरा थाना गुरूवंक्श गंज
जिला– रायबरेली–229122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

सतीश कुमार पुत्र मंगल प्रसाद
अनुक्रमांक–249398346
पता– ग्राम व पो–सताव थाना गुरूवंक्श गंज
जिला– रायबरेली–229122

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार यादव पुत्र रामसुमेर यादव
अनुक्रमांक–149398730
पता– कृष्णा नगर मुराईबाग डलमऊ थाना डलमऊ
जिला– रायबरेली–229207

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

ज्ञान सिंह पटेल पुत्र गुरू प्रसाद
अनुक्रमांक–149399626
पता– ग्राम व पो0–देदौर थाना गुरूवक्शगंज
जिला– रायबरेली–229001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं से पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्याःपॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

प्रेम चन्द्र पुत्र राम बहादुर
अनुक्रमांक–149400377
पता– ग्राम पूरे भूपाल सिंह पोस्ट दीनशाह गौरा थाना गदागंज तहसील डलमऊ
जिला– रायबरेली–229204

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

पत्र संख्या:पॉच–III (उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक–जून 21 2019

सेवा में,

रिद्दवन सिंह पुत्र वंशराज सिंह
अनुक्रमांक–149400435
पता– ग्राम सेहगों खानपुर पोस्ट सेगगो थाना बछरॉवा
जिला– रायबरेली–229311

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अंकित कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 श्री रवीन्द्र कुमार शुक्ल
अनुकमांक–149435168
निवासी ग्राम–बेहड़ा पोस्ट कमलापुर थाना कमलापुर
जिला सीतापुर–261302

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

आकाश दीप शुक्ला पुत्र श्री विनोद कुमार शुक्ला
अनुकमांक–249436939
निवासी ग्राम– मढ़िया पो0 इस्लामनगर, तह0व थाना मिश्रिख ,
जिला सीतापुर–261401

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

उमा कान्त पुत्र श्री मदन गोपाल वर्मा
अनुक्रमांक–349438640
निवासी ग्राम– व पो0 बिलौली बाजार महमुदाबाद
जिला सीतापुर–261206

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

विनायक यादव पुत्र श्री जगदीश कुमार यादव
अनुक्रमांक–349433863
निवासी ग्राम– कमुवां पो0 धौकलगंज थाना रामपुर कला
जिला सीतापुर–261201

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

पवन शुक्ला पुत्र श्री दिनेश कुमार शुक्ला
अनुक्रमांक–249434238
निवासी ग्राम– 4,मो0 बहादुर पुर पो0 सिधौली थाना सिंधौली
जिला सीतापुर–261303

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अनुज कुमार पुत्र श्री राम सिंह
अनुकमांक–349434532
निवासी ग्राम– डाडाबाद पो0 उरदौली थाना महोली
जिला सीतापुर–261141

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

गौरव कुमार शुक्ल पुत्र श्री अशोक कुमार शुक्ल
अनुक्रमांक–149434673
निवासी ग्राम– व पो0 व थाना मछरेटा , शुक्ला भवन निकट
थाना मछरेहटा मो0 राठौरपुर
जिला सीतापुर–261405

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप--1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

आकाश वर्मा पुत्र श्री राम जीवन वर्मा
अनुक्रमांक–249434831
निवासी ग्राम– नवाब नगर पो0 अकबर पुर थाना लहरपुर
जिला सीतापुर–261135

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र वर्मा
अनुकमांक–249434837
निवासी ग्राम– महिमापुर पो0 ठिकरा
तह0 बिसवा थाना कोतवाली बिसवा
जिला सीतापुर–261201

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार
अनुक्रमांक–249435359
निवासी ग्राम– मंझरी कारिंदा पो0 नौवापुर घाट
तह0 व थाना लहरपुर
जिला सीतापुर–262728

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

रूपेन्द्र पाल पुत्र श्री बेचेलाल पाल
अनुक्रमांक–249435415
निवासी ग्राम– ए/64 आवास विकास कालोनी सीतापुर थाना कोतवाली
जिला सीतापुर–261001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अरविन्द कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र
अनुक्रमांक–149435129
निवासी ग्राम– राजपुर पो0 महराज नगर थाना मानपुर
जिला सीतापुर–261201

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

उपेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री ओमकार यादव
अनुक्रमांक–149435725
निवासी ग्राम– बिहरी पो0 नेरीकला
थाना रामकोट वि0ख0 एलिया तह0 सीतापुर
जिला सीतापुर–261001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

नबीस अहमद पुत्र श्री असफाक हुसैन
अनुक्रमांक–349435527
निवासी ग्राम– पो0 असुवामऊ थाना संदना तह0 सिधौली
जिला सीतापुर–261303

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

सुमित कान्त पुत्र सुरेश सिंह आचार्य
अनुक्रमांकः 249394544
निवासीः साकेत नगर थाना लालगंज पो0 लालगंज
जिलाः रायबरेली 229206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अंकित अवस्थी पुत्र कृष्ण कुमार अवस्थी
अनुक्रमांकः 249394584
निवासीः ए/36 पटेल नगर कालोनी बछरॉवा रायबरेली
जिलाः रायबरेली 229301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

राहुल यादव पुत्र ब्रम्हादीन यादव
अनुक्रमांकः 149394806
निवासीः पूरेबचन पो0 अम्बारा पश्चिम थाना लालगंज
जिलाः रायबरेली 229206

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

संकल्प सिंह राठौर पुत्र श्रीकान्त सिंह राठौर
अनुक्रमांकः 249395094
निवासीः ग्रा0 पूरे राठौर पो0मुस्तफाबाद ऊचांहार
जिलाः रायबरेली 229404

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

बलराम सिंह पुत्र लाल प्रभाकर सिंह
अनुक्रमांकः 149395486
निवासीः ग्रा0 व पो0 मोहनगंज थाना सलोन
जिलाः रायबरेली 229127

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अजहर अब्बास पुत्र आलम अब्बास
अनुक्रमांकः 349395314
निवासीः 240 बी अग्रवाल टोला स्वाराजनगर कोतवाली
जिलाः रायबरेली 229001

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

धर्मेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र बहादुर सिंह
अनुक्रमांकः 349395410
निवासीः ग्रा0 डिलौली पो0 लक्ष्मीगंज थाना ऊंचाहार
जिलाः रायबरेली 229404

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अंकित सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह
अनुक्रमांकः 349395416
निवासीः ग्रा0 पूरेबैसन पो0 गेगांसो थाना सरेनी
जिलाः रायबरेली 229216

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

नितिन साहू पुत्र गोवर्धन प्रसाद साहू
अनुक्रमांकः 149395535
निवासीः ग्रा0 पूरेलालू पो0 बेनीमध्वगंज थाना सरेनी
जिलाः रायबरेली 229216

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

राघवेन्द्र सिंह पुत्र अजय पाल सिंह
अनुक्रमांकः 349395994
निवासीः ग्रा0 सरायदिगोसा पो0 बर्रउवा थाना गुरूबक्शगंज
जिलाः रायबरेली 229125

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अम्बेडकर पुत्र श्रीराम सिंह
अनुक्रमांक–149387279
निवासी ग्राम–व पो0 अहमद नगर थाना हैदराबाद
जिला लखीमपुर खीरी–262802

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

पंकज कुमार पुत्र श्री रामपाल
अनुक्रमांक–349386862
निवासी ग्राम–मो0 मौलीबीगंज नगर पंचायत बरबर थाना पसगवां तह0 मोहम्मदी
जिला लखीमपुर खीरी–261505

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

सद्दाम पुत्र श्री मुर्तिजा अली
अनुक्रमांक–149388499
निवासी ग्राम–तेन्दुआ पो0 व थाना फलबेहड़ तह0 लखमपुर खीरी
जिला लखीमपुर खीरी–262701

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

विवेक कुमार राठौर पुत्र श्री राजाराम राठौर
अनुकमांक–149388526
निवासी ग्राम–रामपुर पो0 दौलतापुर व तह0 व थाना निधासन
जिला लखीमपुर खीरी–262903

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

गौरव सिंह पुत्र श्री रामधेश सिंह
अनुक्रमांक–249385814
निवासी ग्राम–दौदापुर पो0 भूलनपुर तह0 मितौली थाना नीमगांव
जिला लखीमपुर खीरी–261501

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

गौरव कुमार तिवारी पुत्र श्री अवधेश नन्दन तिवारी
अनुकमांक–349385929
निवासी ग्राम–निकट वर्मा कम्प्लेक्स कोठी नं0–4 ,
डान बास्को स्कूल काशीनगर थाना कोतवाली सदर
जिला लखीमपुर खीरी–261502

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

वीपेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री महादेव प्रसाद यादव
अनुकमांक–249386215
निवासी ग्राम–लाल्हापुर थाना व तह0 गोला गोकर्ण नाथ
(निकट जय शंकर बारात घर अलीगंज रोड)
जिला लखीमपुर खीरी–262802

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

विशाल शुक्ला पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ला
अनुक्रमांक–249386202
निवासी ग्राम–कुशमौरी, पो0 अलीगंज
थाना व तह0 गोला गोकर्ण नाथ
जिला लखीमपुर खीरी–262802

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

शशि शेखर जरोरा पुत्र श्री मनोहर लाल जरोरा
अनुकमांक–149387707
निवासी ग्राम–नई बस्ती खखरा ,मढ़िया रोड पो0 व
थाना व डाकखाना मैगलगंज
जिला लखीमपुर खीरी–261505

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

मयंक वर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनुक्रमांक–349387618
निवासी ग्राम–रसौरा पो0 मीरपुर थाना कोतवाली सदर तह0 लखीमपुर
जिला लखीमपुर खीरी–262701

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया हैं। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

रियाज अंसारी पुत्र श्री रफीक अंसारी
अनुक्रमांक–249388271
निवासी ग्राम–व पो0 व थाना सम्पर्णा नगर तह0 पलिया कला
जिला लखीमपुर खीरी–262904

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपनें साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

राणा राज सिंह पुत्र श्री रामेन्द्र पाल सिंह सोमवंशी
अनुक्रमांक–249367640
निवासी ग्राम–दुलारपुर पो0 बरवन थाना लोनार तह0 सवायजपुर
जिला हरदोई–241401

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

दिनेश कुमार कुशवाहा पुत्र श्री अमर सिंह
अनुकमांक–349367350
निवासी ग्राम–फदुल्लापुर पो0 सवायजपुर
थाना लोनार वि0ख0 हरपालपुर तह0 सवायजपुर
जिला हरदोई–241123

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

दीपक सिंह पुत्र श्री शिव कुमार सिंह
अनुकमांक–149367442
निवासी ग्राम–व पो0 कोरिया थाना कातवाली देहात
जिला हरदोई–241001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

सूधांशु सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–249367278
निवासी ग्राम–तरहटिया पो0 खुर्दा मदारपुर थाना मल्लावा तह0 बिलग्राम
जिला हरदोई–241305

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

दीपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जीतेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–149367025
निवासी ग्राम–व पो0 नगवा तह0 सण्डीला
थाना बेनीगंज
जिला हरदोई–241304

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अजेश कुमार पुत्र श्री राम कुमार
अनुक्रमांक–149368639
निवासी ग्राम–खंधेरिया खंजानपुर पो0 सदरपुर
थाना माधौगंज तह0 बिलग्राम
जिला हरदोई–241302

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह
अनुक्रमांक–249368382
निवासी ग्राम–म0न0 622सुभाष नगर थाना कोतवाली शहर
जिला हरदोई–241001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

शिवेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री शिव शंकर शुक्ला
अनुक्रमांक–149367871
निवासी ग्राम–व पो0 अहिरोरी थाना टडियावॉ
जिला हरदोई–241121

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

शिवम् कुमार कनौजिया पुत्र श्री सुरेश चन्द्र
अनुक्रमांक–149367860
निवासी ग्राम–क्योंटी ख्वाजगीपुर पो0 व
थाना माधौगंज तह0 बिलग्राम
जिला हरदोई–241302

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अभिलाख सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र देव
अनुक्रमांक–149367830
निवासी ग्राम–व पो0 हरिहरपुर थाना टडियावॉ
जिला हरदोई–241404

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया हैं। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

विशेष सिंह पुत्र श्री रमेश चन्द्र
अनुक्रमांक–249367569
निवासी ग्राम–व पो0 बॉसा थाना मल्लावा तह0 बिलग्राम
जिला हरदोई–241303

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री आनन्द कुमार सिंह
अनुक्रमांक–249371540
निवासी ग्राम–सैदपुर पो0 व डाकखाना टोडरपुर थाना बेहता गोकुल
जिला हरदोई–241125

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

हेमन्त सिंह पुत्र श्री अमर सिंह
अनुक्रमांक–349370381
निवासी ग्राम–झरोइया पो0 व थाना बेनीगंज तह0 सण्डिला
जिला हरदोई–241304

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

शिवम् कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री राम नरेश त्रिपाठी
अनुक्रमांक–149370106
निवासी ग्राम–म0नं0 409 सुभाष नगर निकट शिव भोले मन्दिर
थाना सदर कोतवाली
जिला हरदोई–241001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अभिशेक कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश कुमार
अनुक्रमांक–349369959
निवासी ग्राम–व पो0 नगवा तह0 सण्डिला थाना बेनीगंज
जिला हरदोई–241304

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते **हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

गगन कुमार दीक्षित पुत्र श्री ब्रजेश चन्द्र दीक्षित
अनुक्रमांक–249369903
निवासी ग्राम–व पो0 मलिहा मऊ थाना सुरसा
जिला हरदोई–241001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

सन्दीप कुमार द्विवेदी पुत्र श्री राम सागर द्विवेदी
अनुकमांक–149369652
निवासी ग्राम–महुईपुरी पो0व डाकखाना मदारा थाना कोतवाली देहात
जिला हरदोई–241001

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

सन्दीप कुमार पुत्र श्री हरीपाल
अनुक्रमांक–349371683
निवासी ग्राम–बेलहा पो0 पहुतेरा थाना माधौगंज
जिला हरदोई–241302

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पाँच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

मंजेश कुमार पुत्र श्रीपाल सिंह
अनुकमांक–249366466
निवासी ग्राम–सेखवापुर पूर्वी थाना माधौगंज तह0 बिलग्राम
जिला हरदोई–241302

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री प्रेम बहादुर सिंह
अनुक्रमांक–343365059
निवासी ग्राम–सारूखेड़ा पो0 बारा थना बारा सगवर
जिला उन्नाव–209863

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आशीष यादव पुत्र श्री हृदय लाल यादव
अनुक्रमांक–143328417
निवासी– एफ–2062 राजाजीपुरम,,
थाना– तालकटोरा जनपद–लखनऊ
पिन–226017

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रशान्त गुप्ता पुत्र श्री ब्रहम्देव गुप्ता
अनुक्रमांक–243328763
निवासी– 656 / 1836 सीमान्त नगर कल्याणपुर
थाना– गुडम्बा जनपद–लखनऊ
पिन–226022

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष / महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160 / 2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अमित कुमार पुत्र श्री उमेश कुमार
अनुक्रमांक–143329934
निवासी– रसूलपुर पो0–नगराम
थाना– नगराम जनपद–लखनऊ
पिन–226303

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अखिलेश कुमार मौर्य पुत्र श्री जीवन लाल मौर्य
अनुक्रमांक–143328964
निवासी– गोडवा बरौंकी
थाना– माल जनपद–लखनऊ
पिन–226104

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शशांक मौर्या पुत्र श्री छत्रपाल सिंह
अनुक्रमांक–343330530
निवासी– 532ए/230 चौधरी टोला,
थाना– अलीगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226022

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

संदीप वर्मा पुत्र श्री रामदास वर्मा
अनुक्रमांक–343929272
निवासी– 545/क/डी0के0/49 सम्यम सिटी डिप्टी खेडा, रिंग रोड
थाना– ठाकुरगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226017

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सौरभ वर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश वर्मा
अनुक्रमांक–343330860
निवासी– 537ख/240 नया पुरवा पुरनिया फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड
थाना– मडियॉव जनपद–लखनऊ
पिन–226020

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रावेन्द्र वर्मा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार यादव
अनुक्रमांक–143331176
निवासी– 441/291 गौशाला रोड, बाबागंज
थाना– ठाकुरगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226003

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रसून पाण्डेय पुत्र श्री जे0बी0 पाण्डेय
अनुक्रमांक–143331007
निवासी– 645 ए–पीओओ 5 के–3367, श्याम बिहार कालोनी, जानकीपुरम
थाना– जानकीपुरम जनपद–लखनऊ
पिन–226021

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रमोद कुमार यादव पुत्र श्री धनी राम यादव
अनुक्रमांक–343332051
निवासी– गुलाम हुसैन पुरवा विभूति खण्ड–02 गोमतीनगर
थाना– विभूतिखण्ड जनपद–लखनऊ
पिन–226010

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रजत शुक्ल पुत्र श्री अरूण कुमार शुक्ला
अनुक्रमांक–243357707
निवासी– लखनऊ
थाना– प्रसगांव जनपद–लखनऊ
पिन–226031

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रवि चौधरी पुत्र श्री राजेन्द्र चौधरी
अनुक्रमांक–143331063
निवासी– म0नं0 602/1245, बेगरिया–3 डुबग्गा
थाना– काकोरी जनपद–लखनऊ
पिन–226101

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

आज्ञा पुलिस अधीक्षक मुख्यालय

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकास शुक्ला पुत्र श्री सुरेन्द्र शुक्ला
अनुक्रमांक–143358330
निवासी– ई0डी0–4 सेक्टर–बी अलीगंज
थाना– अलीगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226024

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अरूण कुमार वर्मा पुत्र श्री विजय कुमार वर्मा
अनुक्रमांक–243357761
निवासी– म0नं0 592–क–935 प्रभात नगर, खरिका तेलीबाग
थाना– पीजीआई जनपद–लखनऊ
पिन–226029

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विवेक सिंह पुत्र श्री अमर बहादुर सिंह
अनुक्रमांक–143359115
निवासी– म0नं0 538–क–456/18 श्रीपुरम त्रिवेणी नगर तृतीय
थाना– अलीगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226020

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राहुल कुमार सिंह पुत्र श्री परशुराम सिंह
अनुक्रमांक–143359167
निवासी– म0नं0 594–ख–115/1 शाहीनूर कालोनी, निलमथा,
थाना– कैण्ट जनपद–लखनऊ
पिन–226002

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उ०प्र० पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुधम श्रीवास्तव पुत्र श्री बी0के0 श्रीवास्तव
अनुक्रमांक–3433399580
निवासी– 3/314 विराम खण्ड 3, गोमतीनगर
थाना– गोमतीनगर जनपद–लखनऊ
पिन–226010

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शैलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह
अनुक्रमांक–3433599622
निवासी– व पो–ऑट–गढी सौरा,
थाना– मोहन जनपद–लखनऊ
पिन–226104

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनुराग यादव पुत्र श्री सत्नाम सिंह
अनुक्रमांक–243360367
निवासी– मा0म0 बी–172/2 जी0एक0ए0 ओल्ड मंगल पाण्डेय रोज सदर कैण्ट
थाना– दिलकुशा जनपद–लखनऊ
पिन–226002

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सर्वेश कुमार पुत्र श्री महादेवप्रसाद
अनुक्रमांक–143360821
निवासी– 539 ग/4, मीखमपुर पेपरमील रोड, निशातगंज
थाना– कोतवाली महानगर जनपद–लखनऊ
पिन–226006

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों [illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सर्वेश कुमार पुत्र श्री महादेवप्रसाद
अनुक्रमांक–143360821
निवासी– 639 ग/4, मीखमपुर पेपरमील रोड, निशातगंज
थाना– कोतवाली महानगर जनपद–लखनऊ
पिन–226006

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणी के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार सिंह पुत्र श्री अखिलेश सिंह
अनुक्रमांक–143362652
निवासी– नवीकोट नंदना
थाना– बख्शी तालाब जनपद–लखनऊ
पिन–226201

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणों के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच– ।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

निलेश वर्मा पुत्र श्री एच0 चन्द्रू
अनुक्रमांक–143361730
निवासी– म0नं0 538 क/1228 शिवलोक ,
60फिट रोड त्रिवेणीनगर तृतीय
थाना– अलीगंज जनपद–लखनऊ
पिन–226020

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच--111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0--2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सौरभ यादव पुत्र श्री प्रताप सिंह यादव
अनुक्रमांक--1433661883
निवासी-- कुमारी खेड़ा, मजरा देहवा ,
थाना-- मोहनलालगंज जनपद--लखनऊ
पिन--226301

विषय:--उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती--2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
वि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

प्रवीन कुमार कश्यप पुत्र श्री राम सेवक कश्यप
अनुक्रमांक–343360484
निवासी– 755 शेखपुरा विकास नगर,
थाना– विकासनगर जनपद–लखनऊ
पिन–226022

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

शिव कुमार पुत्र श्री शारदा प्रसाद
अनुकमांक–249389091
निवासी ग्राम–रमुआपुर पो0 सेमरी थाना व
तह0 धौरहरा वि0ख0 रमिया बेहण
जिला लखीमपुर खीरी–262724

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 **दिनांकःजून 21, 2019**

सेवा में,

चन्द्रोदय पुत्र श्री परमानन्द
अनुक्रमांक–149388462
निवासी ग्राम–43 कुईया खेड़ा पो0 मुबारखपुर
तह0 मोहम्मदी थाना पसगवा
जिला लखीमपुर खीरी–261505

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जानें हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0म0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

अभिषेक कुमार वर्मा पुत्र श्री जैनेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक–349389695
निवासी ग्राम–रूकुन्दीपुर पो0 मन्योरा, थाना फरधान तह0 लखीमपुर
जिला लखीमपुर खीरी–262701

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

मो0 इमरान पुत्र श्री निजामुद्दीन
अनुक्रमांक–249390057
निवासी ग्राम–व पो0 बेहजम तह0 मितौली थाना नीमगांव
जिला लखीमपुर खीरी–261501

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

मनोज कुमार यादव पुत्र श्री भीम यादव
अनुक्रमांक–249389039
निवासी ग्राम–चकलुआ पो0 अदलाबाद
थाना फूलबेहड़ तह0 लखीमपुर
जिला लखीमपुर खीरी–262701

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–**मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1

पत्र संख्याः पॉच–111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांकःजून 21, 2019

सेवा में,

प्रशान्त बाजपेयी पुत्र श्री के0के0 बाजपेयी
अनुक्रमांक–249389534
निवासी ग्राम–98 कीरत नगर निकट डी0एम0 बंगला थाना कातवाली सदर
जिला लखीमपुर खीरी–262701

विषयः– उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः–16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन मे उपयुक्तता के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–प्रानि0–प–237/2019/ दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** में दिनांक 24.062019 से कराये जाने के निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 का सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति,फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो/ रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, विस्तर आदि लेकर जायेगें तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–1 एवं 2 में क्रमशः 32/–एवं 42/– के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ, में योजित विशेष अपील संख्या–210/2019 सत्येन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी को इस निर्देशि के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुए इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद** को उक्त अभ्यर्थी की मूल प्रत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उनका मिलान करा लिया जाय। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाय। तथा सम्पर्णू तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत **कराते हुए अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।**

संलग्न–मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

हिमान्शु त्रिपाठी पुत्र श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह
अनुक्रमांक–203114076
निवासी–बरगदवा माधोपुर, पो0–रामपुर बलडीहा
थाना–धुधली जनपद–महराजगंज।
पिन–273151

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुनील कुमार पुत्र श्री राधेश्याम
अनुक्रमांक–203112086
निवासी– महावनखोर पो0–महावनखोर
थाना–कैम्पियरगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273165

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अरविन्द यादव पुत्र श्री रामानन्द यादव
अनुक्रमांक–203123062
निवासी– सुरैनी पो0–करनपुरा
थाना–खजनी जनपद–गोरखपुर
पिन–273212

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह
अनुक्रमांक–303112390
निवासी– सोना टीकर(अलगटपुर)
थाना–कैम्पियरगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273158

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुधीर कुमार यादव पुत्र श्री सालिक यादव
अनुक्रमांक–103114571
निवासी– व पो–लोहरपुरवॉ
थाना–कैम्पियरगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273158

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

कृष्ण कुमार जयसवाल पुत्र श्री गिरिजा शंकर जयसवाल
अनुक्रमांक–303120727
निवासी– चौमुखा व पो0–कैम्पियरगंज
थाना–कैम्पियरगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273159

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

नीरज कुमार पुत्र श्री भोलानाथ
अनुक्रमांक–103116648
निवासी– व पो0–भरपही
थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019, दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आदित्य सेन सिंह पुत्र श्री इन्द्रसेन सिंह
अनुक्रमांक–103126300
निवासी– 48–एच, इन्दिरानगर, शिवपुरी न्यु कालोनी
थाना–कैण्ट जनपद–गोरखपुर
पिन–273016

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राघवेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्री राधेश्याम
अनुक्रमांक–203115409
निवासी– व पो0–जंगल कौडियो, रामपुर
थाना–पीपीगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273007

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य वं अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21.6.19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याःपॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राहुल कुमार यादव पुत्र श्री अजय प्रताप
अनुक्रमांक–103121084
निवासी– पुरासपार, पो0–उनवल
थाना–खजनी जनपद–गोरखपुर
पिन–273406

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

16/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायें ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

रोहित दुबे पुत्र श्री जयराम दुबे
अनुक्रमांक–103115924
निवासी– सहवाजगंज, पो–सहजनवा, हीरो एजेन्सी के बगल में
थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शिव शंकर यादव पुत्र श्री राम समुझ यादव
अनुक्रमांक–303114275
निवासी– व पो0–मुण्डेरा ठकुराई
थाना–झगहाँ जनपद–गोरखपुर
पिन–273010

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-ष-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19.

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

योगेश कुमार ठाकुर पुत्र श्री आनन्द कुमार ठाकुर
अनुक्रमांक–203120497
निवासी– डी महावीर जूट मिल्स प्रा0लि0
थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पवन कुमार सिंह पुत्र श्री प्रदीप नारायण सिंह
अनुक्रमांक–203115408
निवासी– गम्भीरपुर पो0–कोठा
थाना–गगहा जनपद–गोरखपुर
पिन–273411

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

पुष्कर दुबे पुत्र श्री राजेन्द्र दुबे
अनुक्रमांक–303119677
निवासी– डड़िया पो0–बारानगर
थाना–गोला जनपद–गोरखपुर
पिन–273408

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विजय कुमार कुशवाहा पुत्र श्री वरिष्ठ कुशवाहा
अनुक्रमांक–203123792
निवासी– मा0नं0 63 निकट मौर्या आटा चक्की नन्दानगर
महादेव झारखण्डी टुकडा नं–3 पो0–कुडाघाट,
थाना–शाहपुर जनपद–गोरखपुर
पिन–273008

विषयः–उपनिरीक्षक मा0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019, दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर आयेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

24/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आदित्य कुमार राय पुत्र श्री हृदया नारायण राय
अनुक्रमांक–103115270
निवासी– म0नं0–14ए कैलाश पुरी कालोनी शिवपुरी रोड शिवहरिया
थाना–कैण्ट जनपद–गोरखपुर
पिन–273001

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणं के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विशाल विक्रम सिंह पुत्र श्री रूद्रप्रताप सिंह
अनुक्रमांक–103115918
निवासी– सेक्टर–03 म0न0–67बी शशिभवन शिवपुर सहबाजगंज
थाना–शाहपुर जनपद–गोरखपुर
पिन–273014

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अनिकेत श्रीवास्तव पुत्र श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
अनुक्रमांक–303115777
निवासी– म0न0–782एल बिच्छिया नियर हनुमान मन्दिर कुहार टोला
थाना–शाहपुर जनपद–गोरखपुर
पिन–273014

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

भरत भट्ट पुत्र श्री ब्रह्मदेव शर्मा
अनुक्रमांक–20318672
निवासी– भट्टपुरवा पो0–अहिरौली बुजुर्ग
थाना–शिकरीगंज जनपद–गोरखपुर
पिन–273213

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मनीष कुमार चौधरी पुत्र श्री युगुल किशोर चौधरी
अनुक्रमांक–303118120
निवासी– महादेवा जंगल पो0–चौरीचौरा
थाना–चौरीचौरा जनपद–गोरखपुर
पिन–273201

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायें ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिनय सिंह पुत्र श्री अभिद सिंह
अनुक्रमांक–203122005
निवासी– इटवा मझरिया पो0–गगहा
थाना–गगहा जनपद–गोरखपुर
पिन–273411

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण करायें जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

जितेन्द्र यादव पुत्र श्री साधु नारायण यादव
अनुक्रमांक–303125175
निवासी– जगलीदीगर पो0–सिधौली
थाना–हरपुर बुदहट जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

जितेन्द्र यादव पुत्र श्री साधु नारायण यादव
अनुक्रमांक–303125175
निवासी– जगलीदीगर पो0–सिधौली
थाना–हरपुर बुदहट जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शैलेश पुत्र श्री गोरख
अनुक्रमांक–303115031
निवासी– रावतपुर पो–मदनपुरा
थाना–हरपुर बुदहट जनपद–गोरखपुर
पिन–273212

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आदित्य त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश त्रिपाठी
अनुक्रमांक–303112368
निवासी– म0न0–88ए चित्रगुप्तपुरम सेमरा नं0–1 चरगावॉ
थाना–गुलरिहा जनपद–गोरखपुर
पिन–273013

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

आदित्य त्रिपाठी पुत्र श्री रमेश त्रिपाठी
अनुक्रमांक–303112368
निवासी– म0न0–88ए चित्रगुप्तपुरम सेमरा नं0–1 चरगावॉ
थाना–गुलरिहा जनपद–गोरखपुर
पिन–273013

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक.
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अभिल मलिक पुत्र श्री प्रमोद मलिक
अनुक्रमांक–349427588
निवासी– बरला जर पो0–कबड़ौड
थाना–भौराकला जनपद–शामली
पिन–247776

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायें ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मोहित पुत्र श्री पवन सिंह
अनुक्रमांक–149428296
निवासी– भगलौरा पो0–उदयपुर
थाना–झिंझाना जनपद–शामली
पिन–247778

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष / महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160 / 2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

कपिल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार
अनुक्रमांक–240430012
निवासी– जसाला पो0–जसाला
थाना–कांधला जनपद–शामली
पिन–247775

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ मैं योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

मोहित कुमार पुत्र श्री यशपाल सिंह
अनुक्रमांक–130246356
निवासी– पो0–कुड़ाना
थाना–मेडिकल जनपद–शामली
पिन–247776

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पाँच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

विकास मलिक पुत्र श्री विनोद कुमार
मोबाइल नं0–3489425419
निवासी– मौ0–कर्णेदा हाथी
थाना–बाबरी जनपद–शामली
पिन–251305

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राहुल कुमार पुत्र श्री लवकुश
अनुक्रमांक–249430115
निवासी– कौशांबी
थाना–सिराथू जनपद–शामली
पिन–247773

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षणं के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

गौरव कुमार पुत्र श्री विक्रम सिंह
अनुक्रमांक–3490490477
निवासी– ग्राम पो0–जांक
थाना–कोतवाली जनपद–शामली
पिन–247776

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अजय मलिक पुत्र श्री रणवीर मलिक
अनुक्रमांक–249429562
निवासी– पुटराडी पो0–काबडौल
थाना–शामली जनपद–शामली
पिन–247776

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सोहन कुमार पुत्र श्री ब्रहमपाल
अनुक्रमांक–349431609
निवासी– भाजू
थाना– बाबरी जनपद–शामली
पिन–251319

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
कृ0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शेखर कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह
मुनकमांक–249428577
निवासी– म0नं0 286बी, मो0 शौर्य गार्डन निकट डॉ0 तेजसिंह रेलपार,
थाना– आदर्श मण्डी, जनपद–शामली
पिन–247776

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019, दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/ss/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सुमित श्योरान पुत्र श्री महीपाल सिंह
अनुक्रमांक–24940709
निवासी– ग्रामैना पो0–गढ़ीपुख्ता,
थाना– गढ़ीपुख्ता जनपद–शामली
पिन–247776

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, सहारनपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

कृष्ण मुरारी जायसवाल पुत्र गेंदालाल जायसवाल
अनुक्रमांकः 303169146
निवासीः ग्रा0 भँवरी पो0 राजापुरा थाना संग्रामगढ़
जिला प्रतापगढ़ 230125

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

पुष्पेश चन्द्र दुबे पुत्र पारस नाथ दूबे
अनुक्रमांकः 303171862
निवासीः ग्रा0 व पो0 कहला गौरा थाना रानीगंज
जिला प्रतापगढ़ 230301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

सन्तोष कुमार यादव पुत्र राजकरन यादव
अनुक्रमांकः 303173726
निवासीः ग्रा0 औधान पुर पो0 भोजेमऊ थाना रानीगंज
जिला प्रतापगढ़ 230301

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अमृत कुमार विश्वकर्मा पुत्र उमाशंकर विश्वकर्मा
अनुक्रमांकः 103172633
निवासीः ग्रा0 बिसौली पो0 कन्जासराय गुलामी पट्टी
जिला प्रतापगढ़ 230135

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/06/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

इमरान अहमद पुत्र सगीर अहमद
अनुक्रमांक: 303086723
निवासीः ग्रा0एकारी पो0 बिलन्दा थाना थरियॉव
जिला फतेहपुर 208014

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

कमल कुमार पुत्र राम सिंह
अनुक्रमांकः 103089121
निवासीः ग्रा0 पखरौली पो0 व थाना गाजीपुर
जिला फतेहपुर 216221

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अनुज कुमार पुत्र अजय कुमार शुक्ला
अनुक्रमांकः 203088390
निवासीः ग्रा0 रामपुर पो0 मौहार थाना औंग
जिला फतेहपुर 212665

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायँगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

विवेक कुमार पुत्र रामविलास
अनुक्रमांकः 143307662
निवासीः ग्रा0 व पो0मवईया थाना गाजीपुर
जिला फतेहपुर 212621

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जायें तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

राकेश कुमार पुत्र इन्द्रसेन
अनुक्रमांकः 303085133
निवासीः ग्रा0 बेनी हरसिंगपुर पो0 भदवा थाना मलवाँ
जिला फतेहपुर 212664

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

पवन कुमार पुत्र रंजीत सिंह यादव
अनुक्रमांकः 375516446
निवासीः ग्रा0 जैतपुर पो0 व थाना हडिंया
जिला प्रयागराज 221503

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

महेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र संतोष तिवारी
अनुक्रमांकः 175508172
निवासीः 95 बी/58 ए चक निरातुल चौफटका थाना खुल्दाबाद
पो0 करेली जी0टी0बी0 नगर
जिला प्रयागराज 211016

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

सुमित पुत्र अनिरूद्ध पाण्डेय
अनुक्रमांकः 103169181
निवासीः 7 टी/1 सी शिवपुरी गोविन्दपुर तेलियारगंज
थाना शिवकुटी जिला प्रयागराज 211004

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

सौरभ सिंह पुत्र विपिन सिंह
अनुक्रमांकः 103089394
निवासीः ग्रा0 व पो0 रामपुर थरियांव थाना थरियांव
जिलाः फतेहपुर 212622

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** फतेहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

मंदीप कुमार मिश्रा पुत्र दिलीप कुमार मिश्रा
अनुक्रमांकः 375520150
निवासीः म0नं0 168 ग्रा0 बरवा पो0शुकुलपुर थाना मेजा
जिलाः प्रयागराज 212305

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

विशाल कुमार सिंह पुत्र परमहंस सिह
अनुकमांकः 275507991
निवासीः ए/117 देवनगर, नारायणदास का पूरा झूंसी फूलपुर
जिलाः प्रयागराज 211019

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्याः- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

अभिषेक पाण्डेय पुत्र रामचन्द्रपाण्डेय
अनुक्रमांकः 275521101
निवासीः 449 डी बाघम्बरी गद्दी शिवाजीनगर अल्लापुर
थाना जार्जटउन पो0 दारागंज
जिलाः प्रयागराज 211006

विषयः- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरूष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्याः- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्याः-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः- **वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक,** प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

नि० पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

अच्युदानन्द चतुर्वेदी पुत्र श्री राम भजन चौबे
अनुक्रमांक–303115765
निवासी– नरौली, पो0–मिनवॉ
थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री फयानाथ
अनुक्रमांक–203112686
निवासी– बेनुआटीकर पो0–डवरपार
थाना–बेलीपार जनपद–गोरखपुर
पिन–273016

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

शेखन्त श्रीमान्ता पुत्र श्री श्रीमान्ता
अनुक्रमांक–203118662
निवासी– पो0–पिपरसण्डी
थाना–बेलघाट जनपद–गोरखपुर
पिन–273404

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरुष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक

नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

सन्तोष कुमार गुप्ता पुत्र श्री हीरावन गुप्ता
अनुक्रमांक–203112189
निवासी–दाही, पो0–अर्सौजी बाजार
थाना–सिकरीगंज जनपद–गोरखपुर।
पिन–273213

विषय:–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक,** गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2016)2019 दिनांक जून 2019

सेवा में,

राना राघवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
अनुक्रमांक–103113861
निवासी– कोदरी पो0–कोदरी
थाना–सहजनवॉ जनपद–गोरखपुर
पिन–273209

विषयः–उपनिरीक्षक ना0पु0 (पुरूष/महिला) सीधी भर्ती–2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के आधीन चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन की उपयुक्तता के आधार पर चयन उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधार भूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु **पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर** मे दिनांक **24.06.2019** से कराये जाने का निर्णय लिया गया है । आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान मे दिनांक **23.06.2019** को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे ।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या मे पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध मे दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 मे क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें ।

प्रशिक्षण संस्थान मे निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा । प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे । इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्याः- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा ।

21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपिः-, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों मे सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- **पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक**, गोरखपुर परिक्षेत्र को दिनांक **24.06.2019** से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु ।

प्रतिलिपिः- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतपुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये । यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये ।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)